

हिमाचल प्रदेश सरकार
गृह विभाग ।

संख्या: गृह (ए)बी (2)26/2005-1 तारीख शिमला-2, 09 अगस्त, 2010

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश गृह विभाग में निशक्त व्यक्तियों के निम्नलिखित 3 प्रतिशत पदों को आरक्षण से छूट प्रदान करती है:-

- 1 नाई
- 2 साइंस
- 3 केनल मैन्
- 4 चौकीदार
- 5 वार्ड सरवैन्ट

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 32 के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश गृह विभाग में निशक्त व्यक्तियों को 3 प्रतिशत आरक्षण के निम्नलिखित पदों को निम्न रूप से परिलक्षित करती है:-

क्र०सं०	पद का नाम	निःशक्त व्यक्ति का प्रवर्ग जिसके लिये पद आरक्षित है
1	लिपिक	ओ.आई., ओ.ए., एल ए, एच.एच, बी, बी.एल, ओ.ए.एल .
2	आशुलिपिक	ओ.एल., बी. एल
3	सेवादार	एच.एच. एल.वी. ओ.ए.

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव(गृह),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि । तारीख शिमला-2, 09 अगस्त, 2010
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक

कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. प्रधान सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
3. सचिव(कार्मिक), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
4. पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
5. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
6. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171005

पि जे य कुमार शर्मा
अवर सचिव(गृह),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।